

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०),
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 09.02.2026

विषय :


वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य-योजना के मत्स्य प्रसार के अन्तर्गत राज्य में पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत "चलंत मात्स्यिकी लैब-सह-प्रसार वाहन क्रय की योजना" हेतु स्वीकृत कुल ₹190.76 (एक करोड़ नब्बे लाख छिहत्तर हजार रु० मात्र) मात्र के अन्तर्गत तृतीय चरण में ₹66.766 लाख (छियासठ लाख छिहतर हजार छः सौ रु०) मात्र आवंटन की स्वीकृति।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी-1 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)44/2025-3283 दिनांक-21.07.2025 के आलोक में राज्य-योजना के मत्स्य प्रसार के अन्तर्गत राज्य में पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत "चलंत मात्स्यिकी लैब-सह-प्रसार वाहन क्रय की योजना" हेतु स्वीकृत कुल ₹190.76 (एक करोड़ नब्बे लाख छिहत्तर हजार रु०) मात्र के अन्तर्गत तृतीय चरण में कुल ₹66.766 लाख (छियासठ लाख छिहतर हजार छः सौ रु०) मात्र, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

- इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0102-मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड 02.2405001090102 के विषयशीर्ष 0102-51.01-मोटर गाड़ी-कार्यालय एवं विषयशीर्ष-0102-13.02-वाहन का इंधन एवं रख-रखाव मद में के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
- योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
- आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबावदेही आपकी होगी।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
- राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
- निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।


अनुलग्नक :-विवरणी-1 (एक प्रति)



विश्वासभाजन

निदेशक मत्स्य 9/2/26


ज्ञापांक : म०/बजट-04/202589...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-04/202589...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/202589...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (सभी)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/202589...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/202589...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-04/202589...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।


निदेशक मत्स्य



